ई-आफिस सं0- 1647569/2022
संख्या-9/2023/469-57-2023-1-G-2021-TC-4

प्रेषक,

रघुवीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी/
आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक मार्च 2023

विषयः- जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुॅच मार्ग योजनान्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढी होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक (लम्बाई 0.742 कि0मी0) के निर्माण कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र सं0- 557/1सी, दिनांक 17.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुॅच मार्ग योजनान्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढी होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक (लम्बाई 0.742 कि0मी0) के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 550.00 लाख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उपयुक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0- 857-57-2022-1-G-2021-TC-4, दिनांक 10.08.2022 द्वारा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुॅच मार्ग योजनान्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढी होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक (लम्बाई 0.742 कि0मी0) के निर्माण हेतु रू0 6278.66 लाख जीएसटी सहित (जिसमें निर्माण कार्य हेतु रू0 1243.33 लाख एवं भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 5035.33 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत करते हुए शासनादेश सं0- 874-57-2022-1-G-2021-TC-4, दिनांक 11.08.2022 द्वारा मार्ग निर्माण हेतु निर्धारित लागत रू0 1243.33.00 लाख के सापेक्ष रू0 310.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है।

3- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुॅच मार्ग योजनान्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढी होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक (लम्बाई 0.742 कि0मी0) मार्ग निर्माण हेतु अनुमोदित/निर्धारित लागत रू0 1243.33 लाख के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से द्वितीय किस्त के रूप में रू0 550.00 लाख (रूपये पॉच करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) जिस मद सें पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है उसी मद में पुनः अतिरिक्त धनराशि की माग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य एवं इस हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सुसंगत नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर- 147, 148 ,150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

आहरण के उपरान्त धनराशि जिलाधिकारी, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।
(7) इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या - 857-57-2022-1-G-2021-TC-4, दिनांक 10.08.2022 एवं शासनादेश सं0- 874-57-2022-1-G-2021-TC-4, दिनांक 11.08.2022 द्वारा लगायी गयी शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्त मानक मद में पुनर्विनियोंग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पुनर्विनियोग आदेश सं0- आर0ई0-बजट-1-492-E-5-236-एक्स-2022-23, दिनांक 16.03.2023 के माध्मय से स्वीकृत किया गया है। पुनर्विनियोग प्रपत्र-बी0एम0-9 संलग्न है।
5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,50,00,000 (रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000400 श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-469-57-2023-1-G-2021-TC-4, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10-अधिषाशी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in